197

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 03/09/2014 को टिहरी बॉध जलाशय एफ0आर0एल0 (FRL) 830 मी0 तक जलभराव की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त।

टी0एच0डी0सी0इं0लि0 द्वारा टिहरी बॉध जलाशय एफ0आर0एल0 (FRL) 830 मी0 तक जलभराव की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त के क्रम में दिनांक 03/09/2014 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया –

1– सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– पुनर्वास निदेशक, टिहरी बॉध परियोजना, नई टिहरी।
4– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
5– अधीक्षण अभियन्ता (पुनर्वास), अवस्थापना मण्डल, ऋषिकेश।
6– अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम।
7– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, टी0एच0डी0सी0इं0लि0।
8– निदेशक, तकनीकी, टी0एच0डी0सी0इं0लि0।

पुनर्वास निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2823/II–2011–12/1(10)/2005 दिनांक 25/10/2011 द्वारा टिहरी बॉध जलाशय का जलस्तर आर0एल0 825 मी0 भरने की अनुमति पूर्व में प्रदान की जा चुकी है।

टिहरी बॉध जलाशय आर.एल. 830.0 तक भरने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि पूर्व में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 23/08/2013 में आर.एल. 830.0 तक भरने की अनुमति के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये गये थे–

1) बाढ़ सुरक्षा, देश एवं प्रदेश हित में विद्युत उत्पादन, पेयजल सुविधा, सिंचाई सुविधा हेतु जल की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये आर.एल. 828.00 मी0 तक जलभराव की अनुमति निम्न शर्तो के साथ दी जा सकती है:–

(a) प्रथम चरण में टिहरी बॉध जलाशय में आर.एल. 827.00 मी0 तक जलभराव की अनुमति होगी।

(b) द्वितीय चरण में आर.एल. 827.00 मी0 तक जलभराव होने के उपरान्त एक सप्ताह तक जलाशय क्षेत्र की स्थिति को देखकर क्षेत्र में किसी बड़े भू–स्खलन आदि न होने पर जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल की संस्तुति के आधार पर आर.एल. 828.00 मी0 तक जलभराव की अनुमति दी जायेगी।

(कार्यवाही– टीएचडीसी इण्डिया लि0/जिला कार्यालय, टिहरी)

2) टिहरी बॉध जलाशय का जलस्तर बढ़ाने हेतु अनुमति देने से पूर्व टीएचडीसी इण्डिया लि0 से निम्न प्रमाण–पत्र पुनर्वास निदेशक को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा –

(a) टिहरी बॉध संरचना (Dam Body) पर लगे सभी उपकरणों के विधिवत् रुप से कार्य कर रहे हैं तथा जलाशय का जलस्तर आर.एल. 828.00 मी0 तक बढ़ाना सुरक्षित है।

(b) वर्तमान में वर्षाकाल में हुई अतिवृष्टि तथा जलाशय परिक्षेत्र में पूर्व में हुये भू–धसॉव व भू–स्खलन को मध्यनजर रखते हुये आर.एल. 828.00 मी0 तक जलभराव सुरक्षित है पर भू–वैज्ञानिकों की राय प्राप्त कर पुनर्वास निदेशक को उपलब्ध कराना होगा।

(c) जलाशय में जलभराव तथा जलस्तर कम करते समय केन्द्रीय जल आयोग (C.W.C.) द्वारा टिहरी बॉध जलाशय में जलभराव हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, टीएचडीसी इण्डिया लि0, ऋषिकेश द्वारा शपथ–पत्र उपलब्ध कराना होगा।

उक्त सम्बन्ध में पुनर्वास निदेशक द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि केवल टिहरी बॉध संरचना (Dam Body) पर लगे सभी उपकरणों के विधिवत् रुप से कार्य करने के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, टीएचडीसी इण्डिया लि0 द्वारा प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है, परन्तु आर.एल 828.0 मी0 तक जलभराव सुरक्षित है, पर भू–वैज्ञानिकों की राय तथा C.W.C. द्वारा टिहरी बॉध जलाशय भरने व खाली करने के दिशा–निर्देशों की अनुपालना सम्बन्धी कोई शपथ–पत्र पुनर्वास निदेशालय को उपलब्ध नही कराया गया है।

बैठक में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि **टीएचडीसी इण्डिया लि0 द्वारा जलाशय में जलभराव सुरक्षित है, के सम्बन्ध में भू–वैज्ञानिकों का प्रमाण–पत्र तथा C.W.C. द्वारा टिहरी बॉध जलाशय में जलभरने व खाली करने के दिशा–निर्देशों की अनुपालना सम्बन्धी शपथ–पत्र टीएचडीसी इण्डिया लि0 द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।**

(कार्यवाही–टीएचडीसी इण्डिया लि0)

3) टिहरी बॉध जलाशय के सम्पार्शिविक क्षति नीति पर उत्तराखण्ड शासन एवं टीएचडीसी के प्रतिनिधियों द्वारा सम्पार्शिविक क्षति नीति के अनुसार टिहरी बॉध जलाशय में जल भरने के उपरान्त भू–स्खनल एवं भू–धसांव से प्रभावित परिवारों के परिसम्पत्तियों के भुगतान हेतु टीएचडीसीइलि द्वारा पुनर्वास निदेशालय की मॉग के अनुसार एक सप्ताह में धन उपलब्ध कराने की मॉग पर अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, टीएचडीसीइंलि0 द्वारा सहमति व्यक्त की गयी थी।

पुनर्वास निदेशक, टिहरी बॉध परियोजना, नई टिहरी द्वारा अवगत कराया गया कि पुनर्वास निदेशक तथा अधीक्षण अभियन्ता (पुनर्वास) द्वारा बार–बार उक्त मद में धन उपलब्ध कराने हेतु लिखे गये पत्रों के उपरान्त भी माह अगस्त 2014 के अन्तिम सप्ताह में केवल ₹ 2.00 करोड़ की धनराशि टीएचडीसी इण्डिया लि0 से प्राप्त हुई है, जबकि सम्पार्शिविक क्षति से प्रभावित परिवारों के विस्थापन की धनराशि ₹ 32.00 करोड़ के विरुद्व केवल परिसम्पत्तियों के भुगतान हेतु केवल ₹ 16.00 करोड़ की मॉग की गयी थी, जिसके विरुद्व ₹ 2.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जबकि जलाशय परिक्षेत्र में क्षतिग्रस्त 48 मकानों के भुगतान हेतु ₹ 6.50 करोड़ से अधिक धनराशि की आवश्यकता है तथा अन्य प्रभावित परिवार, जो जलाशय परिक्षेत्र में आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त भवनों में निवासरत् हैं, के भुगतान भी प्राथमिकता के आधार पर किये जाने हैं। पुनर्वास निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सम्पार्शिविक क्षति से प्रभावित परिवारों की परिसम्पत्तियों का आंकलन करा लिया गया है।

बैठक में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि **क्षतिग्रस्त भवनों के भुगतान हेतु ₹ 6.50 करोड़ की धनराशि शीघ्र उपलब्ध करा दी जाए, जिसका विवरण पुनर्वास निदेशालय द्वारा टीएचडीसी को उपलब्ध कराया जायेगा तथा उक्त धनराशि के उपयोग करने के**

उपरान्त ₹ 5.00–5.00 करोड़ की किस्तों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी व पुनर्वास निदेशालय द्वारा उसका विवरण टीएचडीसी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(कार्यवाही– टीएचडीसी इण्डिया लि0/पुनर्वास निदेशालय)

4) टीएचडीसीइलि के सामाजिक दायित्व मद (सी.एस.आर.) के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो के प्रति स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों के मॉग के दृष्टिगत यह निर्णय किया गया कि Installed Capacity के सापेक्ष कुल अर्जित आय का 2% या ₹ 5.00 करोड़ की धनराशि, जो भी अधिक हो, टीएचडीसी द्वारा एक Revolving Fund में उपलब्ध करायी जाए।

पुनर्वास निदेशक, टिहरी बॉध परियोजना, नई टिहरी द्वारा अवगत कराया गया कि इस मद में टीएचडीसी द्वारा कोई धनराशि उपलब्ध नही करायी गयी है।

बैठक में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी टिहरी द्वारा ₹ 5.00 करोड़ के विकास एवं सामाजिक कार्यों की सूची प्रतिवर्ष टीएचडीसी को उपलब्ध करायी जायेगी, तथा टीएचडीसी द्वारा इन कार्यों हेतु तदानुसार सी.एस.आर. मद से तत्काल धनराशि जिलाधिकारी टिहरी को प्रतिवर्ष उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे बॉध प्रभावित क्षेत्रों एवं पुनर्वास स्थलों में आवश्यक विकास कार्यों में उपयोग किया जायेगा।

मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन द्वारा टीएचडीसी इण्डिया लि0 के साथ टिहरी बॉध परियोजना से सम्बन्धित कार्यवृत्त के बिन्दु सं0–1 में लिये गये निर्णय के अनुसार टिहरी बॉध जलाशय क्षेत्र में निवासरत् परिवारों, जिनके समस्त देयकों का भुगतान किया जा चुका है, उन्हें बलपूर्वक हटाया जाए तथा जो परिवार किसी नीति के अन्तर्गत नही आते हैं, उनके प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाए व अगले वर्षाकाल से पूर्व जलाशय क्षेत्र में रह रहे समस्त परिवारों से जलाशय क्षेत्र खाली कराने के उपरान्त टीएचडीसी को आर.एल. 830.0 मी0 तक जलभराव की अनुमति दी जाए।

पुनर्वास निदेशक, टिहरी बॉध परियोजना, नई टिहरी द्वारा अवगत कराया गया कि आर.एल. 832.0 मी0 से 835.0 मी0 के मध्य वर्तमान में जलाशय क्षेत्र में 103 परिवार निवासरत् हैं, जिनको जलाशय को आर.एल. 830.0 मी0 भरने से पूर्व खाली कराया जाना आवश्यक है। इन परिवारों को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त देयकों का भुगतान किया जा चुका है, परन्तु इनके द्वारा धारा–4 के पश्चात् बनाये गये भवनों व भवन में किये गये विस्तार कार्यो के भुगतान की मॉग की जा रही है, जोकि नीति के अनुसार देय नही है।

पुरानी टिहरी शहर की भॉति टिहरी बॉध जलाशय में जलभराव की अनुमति दिये जाने को मध्यनज़र रखते हुये पुनर्वास नीति–1998 के अनुसार पुरानी टिहरी शहर को खाली कराते समय दिये गये प्रोत्साहन भत्ता ₹ 15,000.00, जो वर्तमान में Price Index के आधार पर लगभग ₹ 70,000.00 आती है। इन विस्थापितों को एक माह के भीतर खाली करने की शर्त दिया जाता है तो इन परिवारों में से 80–90 प्रतिशत परिवारों द्वारा स्वेच्छा से खाली करने की पूर्ण सम्भावना है। निदेशक (तकनीकी), टीएचडीसी इण्डिया लि0 द्वारा ₹ 102.99 करोड़ के पैकेज में से बेनाप परिसम्पत्तियों के भुगतान हेतु ₹ 2.42 करोड़ की धनराशि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव रखा, जिसपर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, टीएचडीसी इण्डिया लि0 द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

– 4

बैठक में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जलाशय क्षेत्र खाली कराने हेतु उक्त मद से प्रभावित परिवारों को प्रोत्साहन भत्ते के रुप में ₹ 70,000.00 प्रति परिवार भुगतान किया जा सकता है, जिस पर टीएचडीसी द्वारा भी सहमति व्यक्त की गयी।

प्रभावित परिवारों का भुगतान कर आर.एल. 835.0 मी0 तक सभी प्रभावित परिवारों से जलाशय परिक्षेत्र खाली कराकर टीएचडीसीइंलि को जलभराव की अनुमति दी जाए, ताकि टीएचडीसी आर.एल. 830.0 मी तक जलभराव कर सके।

(कार्यवाही– टीएचडीसी इण्डिया लि0/पुनर्वास निदेशालय)

पुनर्वास निदेशक, टिहरी बॉध परियोजना द्वारा अवगत कराया गया कि टिहरी बॉध पुनर्वास से सम्बन्धित कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। पुनर्वास निदेशालय में कार्यरत् स्टॉफ तथा सिंचाई विभाग के खण्डों में पर्याप्त कार्य (वर्क–लोड) नहीं है तथा निदेशालय के कार्यो हेतु टीएचडीसी द्वारा समय से धन उपलब्ध न कराये जाने के कारण पुनर्वास के अवशेष कार्यो को करने में कठिनाई आ रही है। ऐसी स्थिति में उचित होगा कि पुनर्वास के कार्यो का दायित्व स्वयं टीएचडीसी अपने स्तर से कराये, ताकि वह आवश्यकता के अनुरुप पुनर्वास कार्यो हेतु धन उपलब्ध रहे। साथ ही टिहरी बॉध जलाशय से होने वाली सम्पार्श्विक क्षति का आंकलन एवं प्रतिपूर्ति, जलाशय की पूर्ण आयु तक की जानी है एवं प्रभावित परिवारों की परिसम्पत्तियों का भुगतान/विस्थापन का कार्य टीएचडीसी द्वारा किया जाना है।

निदेशक (तकनीकी), टीएचडीसी इण्डिया लि0 द्वारा अवगत कराया गया कि आर0एल0–835 मी0 तक का विस्थापन कार्य शत–प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। जिस पर पुनर्वास निदेशक, टिहरी बॉध परियोजना द्वारा यह अवगत कराया गया कि आर0एल0–835 मी0 तक का विस्थापन कार्य अभी शत–प्रतिशत पूर्ण नहीं हुआ है, चूँकि वर्तमान में विभिन्न मा0 न्यायालयों में पात्रता निर्धारण एवं विस्थापन सुविधाओं से सम्बन्धित कई वाद विचाराधीन चल रहे हैं। अतः टीएचडीसी इण्डिया लि0 द्वारा आर0एल0–830 मी0 तक जल भराव करने से पूर्व मा0 उच्चतम् न्यायालय एवं अन्य मा0 न्यायालयों द्वारा समय–समय पर दिये गये/दिये जा रहे दिशा–निर्देशों को भी संज्ञान में रखते हुए कार्यवाही की जानी उचित होगी।

अतः उचित होगा कि टीएचडीसी इण्डिया लि0 सम्पार्श्विक क्षति से सम्बन्धित कार्य, जो बाद में उनके द्वारा स्वंय किया जाना है, इसके प्रारम्भ से ही उक्त कार्य को ग्रहण कर लें, ताकि उक्त सम्बन्धी सभी अभिलेख/जानकारी उनके पास उपलब्ध रहे। निदेशक (तकनीकी) टीएचडीसी द्वारा मुख्य सचिव, महोदय से अनुरोध किया गया कि पुनर्वास सम्बन्धी कार्य अगले 02 वर्षो तक पुनर्वास निदेशालय के माध्यम से ही कराया जाए, जिस पर अगली बैठक में विचार किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(डा0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग–2
संख्या 203 / II–2014–12 / 1(08) / 2012
देहरादून दिनांक 10 सितम्बर, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, सिंचाई मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 सिंचाई मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक, टी0एच0डी0सी0इं0लि0।
7. पुनर्वास निदेशक / जिलाधिकारी, टिहरी बांध परियोजना, नई टिहरी।
8. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. निदेशक, तकनीकी टीएचडीसीइं0लि0।
10. अधीक्षण अभियन्ता (पुनर्वास), 26 ई0सी0 रोड़, देहरादून।
11. एन0आईसी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चन्दन सिंह रावत)
अनु सचिव।